रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 1982/वैशाख 16, 1904
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 1982/VAISAKHA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

सं० 162/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 6 मई, 1982

का० आ० सं० 369 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः रबरकृत रोलरों और रीलाइंड टैंकों, बर्तनों और पाइपों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अधीन आते हैं और जिनको पुराने और उपयोग किए गए रोलरों, टैंकों, बर्तनों और पाइपों से पुनः तैयार किया गया है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से, जो पदार्थों के जोड़े गये मूल्य यदि कोई हैं के प्रतिनिदेश से संगणित उत्पाद शुल्क और

इस प्रकार पुनः रबरण और रीलाइन करने या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए प्रभारित राशि से अधिक है, छूट देती है ।

[सं० 162/82 सी०ई०एस० सं० 13/74/81-सी०एक्स-I ]

आर० देब, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

No. 162/82-CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 6th May, 1982

**G.S.R 369(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rerubberised rollers and relined tanks, vessels and pipes, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which have been remade from out of old and used rollers, tanks, vessels and pipes, from so much of the duty of excise leviable thereon as in excess of the duty calculated with reference to the value of materials, if any, added and the amount charged for such re-rubberising and relining or any other process.

[No. 162/82-CE/F. No. 13/74/81-CX. I]

R. DEB, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982